

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

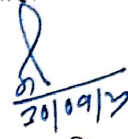
भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या..538/2023

30.09.2023

आवेदक श्री आदित्य चौधरी एवं उदित कुमार चौधरी पिता दामोदर चौधरी, साकिन-चौबे, पोस्ट-चौबे, थाना-चलकुशा, जिला-हजारीबाग द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
गुमो	12	252	5335	3 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 07/10/2023 को प्रस्तुत करें।


20/09/23

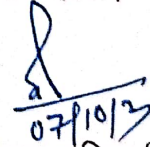
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

07.10.2023

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-252, प्लॉट, सं०-5335, रकबा-3 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-30 भाग संख्या-66 पर श्री आदित्य कुमार चौधरी एवं उदित कुमार चौधरी पिता दामोदर चौधरी के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-1726/2021-22 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। उक्त भूमि केवाला सं०-2572 दिनांक -10.08.2021 द्वारा हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या-72 दिनांक 29.09.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


07/10/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा